विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की अवधारणा एवं स्वरुप

व्यंकट धारासुरे
व्याख्याता : सेंट मेरिस कनिष्ठ महाविद्यालय,
जुबली हिल्स, हैदराबाद-33,
इमेल-vyankatdharasure@gmail.com

सारांश-

भारत में स्थित विमुक्त जातियाँ और घुमंतू जनजातियाँ लगभग एक जैसी पाई जाती है। जिनके व्यवसाय भिन्न होते हुए भी प्रवृत्ति में साम्यता अधिक पाई जाती है। जैसे तथाकथित समाज से इन जनजातियों की रुढी-परंपरा, देवी-देवता, रीति-रिवाज और मुख्यतः घुमक्कड़ प्रवृत्ति जिन्हें उभयनिष्ठ बनाती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से कुछ घुमक्कड़ जनजाति के अलावा अधिकांश जनजातियों की स्थिति एक-सी है।

बीज शब्द- घुमंतू, जाति-जनजाति, इतिहास।

प्रस्तावना

इस देश का एक नक्शा होते हुए भी इसमें अनेक देश बसे हुए हैं। वे स्वंय की जाति, संप्रदाय, धर्म के रीति-रिवाज, प्रथा-परंपरा, पूजा-आर्चना में उलझाकर रहनेवाले देश हैं। सार्वजानिक जीवन में कुछ प्रतिशत देश एकत्रित दिखाई देता हो, किंतु अन्य व्यवहारों में विविध जातियाँ खुद के संसार में मशगुल रहती हैं। आज भी इस देश का इंसान जाति में पैदा होता है, और जाति में ही गुजर जाता है। जाति यहाँ की वास्तविक सच्चाई है। जाति यहाँ इंसान को इंसान से दूर रखती है। आत्मसम्मान छीन लेती है। लाखों लोगों की पहचान मिटा देती है। उनका इतिहास, वर्तमान, भविष्य और भूगोल भी नकारा जाता है। जिनका गाँव न हो, सरकारी विभाग में नाम, जिन्हें सम्मान-प्रतिष्ठा नहीं ऐसी अनेक जाति-जनजातियाँ यहाँ मौजूद हैं। 'जो सैकड़ों सालों से बिना घर, गाँव के उदरनिर्वाह की तलाश घुमक्कड़ी कर रही है, उन्हें 'घुमंतू' कहा जाता है।'

घुमंतू जनजातियाँ 'घुमंतू' के आलावा ख़ानाबदोश, यायावर, घुमक्कड़, अस्थिरवासी, यात्री, बंजारा आदि नामों से जानी जाती है। इनके लिए मराठी विश्वकोश में लिखा गया है-"उदरनिर्वाह अथवा व्यवसाय के कारण भटकने वाले समूह को सामान्यतः 'घुमंतू' कहा जाता है।' किंतु उनका उद्गम बहुत प्राचीन संस्कृति में पाया जाता है। अंग्रेजी में 'नोमड्स' का प्रयोग होता है। 'नोमड्' शब्द 'नोमी' अथवा 'नेमो' (मवेशी चारण) के ग्रीक शब्द से तैयार हुआ है। स्थायीरूप से घर और जमीन नहीं, परंतु मवेशियों के झुंड है, ऐसे समूह जानवरों के चारे की तलाश में घूमते हैं। इस प्रकार के समूहों के लिए 'नोमड्स' इस शब्द का प्रयोग किया जाता है।"[i] सदियों से अपनी घुमंतू प्रवृत्ति के कारण ये समूह अस्थायी रूप से किसी न किसी कार्य, लेन-देन के संपर्क से समाज में मौजूद हैं।

यही घुमक्कड़ जाति-जनजातियाँ इतिहास में कभी सरदार, सैनिक थे; आर्यों, मुग़लों, अंग्रेजों के शासन और युद्धों की वजह से इन मूलनिवासियों को पराजित होना पड़ा था। पराजित होने के कारण ये भोजन की खोज में भटकते रह गये। जंगलों, पहाड़-घाटियों के सानिध्य में रहने लगे। वहीं से स्थिर समाज को सेवाएँ प्रदान करने लगे। उदाहरण- वनौषधि, शिकार किये गए प्राणी आदि। आगे चलकर इनसे जंगल भी छिना गया। जंगलों को अपनी संपत्ति बनाकर रखने के लिए और जंगलों पर अंग्रेजों की हुकूमत ख़त्म करने के लिए अनेक युद्ध इन जाति-जनजातियों ने किया। अंग्रेजों के खिलाफ जगह-जगह पर विद्रोह किया, हैरान करके छोड़ा। अंग्रेजों के अलावा अन्य शासक वर्ग ने इन जातियों को सेना, युद्ध व अन्य कामों में शामिल किया। इस कारण यह जाति-जनजातियाँ अलग-अलग प्रकार की सेवाएँ दे सकी। व इन जनजातियों को राजा-महाराजाओं द्वारा ताम्रपत्र प्राप्त किया है।

सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में घुमंतू जनजातियाँ स्थानिक सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों का गोला-बारूद, बंदूके, खजाना लूटकर और अपने गोरिल्ला युद्ध नीतियों को अपनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपना एहम योगदान दिया है। आगे भी अंग्रेजों के प्रति जनजातियों का रुख देश की आजादी का ही रहा। (इसे भारतीय इतिहारकारों ने नजरंदाज किया) इसलिए अंग्रेजों ने अपनी सत्ता कायम करने के लिए, और जनजातियों को काबू में लाने के लिए अनेक तरीके अपनाए। जिनमें 'भारतीय वन अधिनियम, 1865' द्वारा शाही वन विभाग (इम्पीरियल फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट) के विभिन्न वनमंडलों द्वारा वनों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तथा सन् 1871 में 'अपराधिक जनजाति अधिनियम' बनाकर सभी लड़ाकू जातियाँ-जनजातियों को 'गुनहगार' के अपराध में बंदी बनाया गया। वहाँ पर इन जनजातियों को काम करवाया था, और जो काम नहीं करते उसे कड़ी सज़ा देते थे। बाद में अंग्रेजों को पता चला की मारने से काम संभव नहीं, इस लिए अंग्रेजों ने इन लोगों को दिन में तीन बार हाज़िरी देने की शर्त लगायी। अंग्रेज यह भी समझते थे की 'इंसान बुरा नहीं होता है' इसलिए अंग्रेजों ने जेल में ही जनजातियों के लिए रोज़ गार, स्वस्थ्य और शिक्षा का प्रबंध किया और उनमें सुधार लाने का प्रयास भी किया था। यह सिलसिला भारत की आजादी तक चलता रहा।

सन् 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। सन् 1949 में भारतीय संविधान लागू हुआ, किंतु इन जनजातियों को जेल (सेटलमेंट) से बाहर निकालने का प्रावधान नहीं किया। इसलिए भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉ.अम्बेडकर ने अपने साथी सांसदों के द्वारा संसद में जनजातियों को सेटलमेंट से बाहर निकालने का प्रस्ताव रखा। तब भारत सरकार द्वारा तत्कालीन एक समिति का निर्माण किया गया। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पं.नेहरु ने 1871 के 'आपराधिक जनजाति अधिनियम' (क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट) को ख़त्म कर 31 अगस्त 1952 को 'आदतन आपराधिक अधिनियम' (हॅबिचुँल अफेंडर्स एक्ट) के तहत बंदिस्त जनजातियों को 'विमुक्त' किया। तभी से यह जनजातियाँ 'विमुक्त जातियाँ' कहलाती हैं।

विमुक्त जनजातियों को 'विमुक्त' के आलावा स्वतंत्र किया हुआ, मुक्त किया हुआ, प्रतिबंध से छूटा हुआ, स्वछंद, आज़ाद, फेंका हुआ आदि नामों से जानी जाती है। 'विमुक्त' जनजातियों की अपराधी प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए दादासाहब मोरे लिखते हैं-"सामाजिक परिस्थितियों का दबाव और आर्थिक विपन्नता के कारण कुछ घुमंतू जनजातियाँ गुनहगार प्रवृत्ति को मजबूरन स्वीकार किया। जिन्हें 'अपराधी जनजाति' के नाम से पहचाना जाता है।"[ii] 'स्वतंत्र भारत में 'समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण और पुलिस प्रशासन में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 'अधिनियम' के तहत चले आ रहे 'कानून' से प्रताड़ित जनजातियों को 'विमुक्त' कहा जा सकता है।'

संपूर्ण भारत में विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियाँ पाई जाती है। इदाते आयोग द्वारा इनकी जनसंख्या 15 करोड़ बताई गयी है। जो चार सौ से अधिक जातियों-उपजातियों में बिखरी हुई है। ये जनजातियाँ समाज में अपने परंपरागत व्यवसाय के साथ घुमक्कड़ी करते आ रही है। जिनमें- पशु-पालक, पहरेदार, कारीगर, शिकारी, वैद्यकी, नृतक, जादूगर, कलाबाज, भिक्षाटन, अपराध करनेवाली जातियाँ शामिल हैं। इनमें से अधिकांश जनजातियों का संबंध जंगल-पहाड़ियों से रहा है, कुछ का जंगल और गाँव दोनों से रहा है और कुछ जनजातियों का संबंध केवल गाँव से रहा है। समय के चलते इनमें से कुछ जनजातियों में परिवर्तन दिखाई देता है, परंतु अधिकांश जनजातियों में पहले जैसी स्थितियाँ पाई जाती है।

हम देख सकते हैं की भारत में विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ पाई जाती है। जिन्हें हम पाँच श्रेणियों में देख सकते हैं। पहली है पशुपालक घुमंतू जनजातियाँ, यह जनजातियाँ गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट व सूअर आदि का पालन करती है। इनमें दो प्रकार की घुमंतू जातियाँ पाई जाती है। एक पशुपालक जो एक स्थान से दूसरे स्थान अनवरत घूमती है और दूसरी वह कुछ समय के लिए दूसरे स्थान जाते हैं और कुछ समय अपने पशुओं के साथ घर लौटते हैं। यह लोग गाय, भैंस का दूध बेचते हैं। भेड़,

बकरी चराने वाले समुदाय उनकी खरेदी-बिक्री करते हैं। इनमें- गोपाल, धनगर, गद्दी, गुज्जर, बकरवाल, रेवारी, गडरिया आदि प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती है। दूसरी है व्यापारी जनजातियाँ, यह जनजातियाँ पूर्वकाल में नमक, खाद्यान्न, पशुओं का व्यापार किया करती थी। इसमें- बंजारा प्रमुख जनजाति है। तीसरी है भिक्षुक घुमंतू जनजातियाँ, यह जनजातियाँ समाज में देवी-देवताओं के नाम पर गाने गाती, भविष्य देखकर, नंदीबैल के नामपर भिक्षाटन करती है। जिनमें- जोगी, जोशी, स्वामी, गोसावी, बहुरूपी, वासुदेव, गोंधली आदि प्रमुख जनजातियाँ है। चौथी है पेशेवर घुमंतू जनजातियाँ, यह जनजातियाँ सांप, बंदर, भालू पालते हैं, साथ में बच्चों को कलाबाजी सिखाते हैं। यह समुदाय हमेशा उदरनिर्वाह तथा अपने पशुओं के चारे की तलाश में घूमते है। इनमें- सपेरे, बंदरिया, नट, बाजीगर, भालू वाले, सिकलीगर आदि प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती है। पाँचवी है अपराधी घुमंतू जनजातियाँ, यह जनजातियाँ अंग्रेजों द्वारा अपराधी मानी गयी थी। भारत स्वतंत्रता के बाद इन्हें समाज और प्रशासन में स्थान न मिल पाने के कारण मजबूरवश छोटी-मोटी चोरी, चोरी-छुपे शराब बेचकर जीवन-यापन करने लगी। जिनमें- सांसी, कंजर, पारधी, बेरड़, भामटा, उठाईगीर, बावरिया, डोम आदि प्रमुख जनजातियाँ हैं।

अतः भारत में स्थित विमुक्त जातियाँ और घुमंतू जनजातियाँ लगभग एक जैसी पाई जाती है। जिनके व्यवसाय भिन्न होते हुए भी प्रवृत्ति में साम्यता अधिक पाई जाती है। जैसे तथाकथित समाज से इन जनजातियों की रुढी-परंपरा, देवी-देवता, रीति-रिवाज और मुख्यतः घुमक्कड़ प्रवृत्ति जिन्हें उभयनिष्ठ बनाती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से कुछ घुमक्कड़ जनजाति के अलावा अधिकांश जनजातियों की स्थिति एक-सी है। नाचगाना, कलाबाजी करने वाली जनजातियों को पूर्व काल में अपने दरबार या गाँव में शौक से आमंत्रित किया जाता था। तब उनकी ज़रूरत थी। आज रेडिओ, टीवी, मोबाईल ने इन कलाकार जनजातियों का बहुत बड़ा अहित किया है। खिलौने, टोकरियाँ, फूलदान बनाने वाली जनजातियाँ बाज़ार में प्लास्टिक सामान के कारण नुकसान झेल रही है। भिक्षुक समुदाय ख़त्म होने के कगार पर हैं। आज वे भीख माँगते फुटपतों, स्टेशनों पर देखे जा सकते हैं। अपराधिक जनजातियाँ आज भी कलंकित जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। पशु पालक जनजातियाँ चारे के लिए जमीन के अभाव में भटक रही है। अब इन जनजातियों को वैकल्पिक कार्य करने पर मजबूर होना पड रहा है।